बिहार विशिष्ट करेंट अफेयर्स

मई 2023

बीपीएससी एवं बिहार की अन्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी

सात निश्चय-2 का लक्ष्य: 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी

चर्चा में क्यों?

- विगत 29 मई 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सात निश्चय योजना प्रभाग-2 के तहत 'हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना' की समीक्षात्मक बैठक की गई थी। इस बैठक में वर्ष 2025 तक इस योजना को पूर्ण करने हेतु कई दिशानिर्देश जारी किये गये।

मुख्य बिंदु:

- राज्य में भू-जल स्तर का संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु जल के संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2019 में जल-जीवन-हरियाली अभियान प्रारंभ किया गया था।
- राज्य सरकार ने निजी नलकूप योजना के संबंध में में भी दिशा-निर्देश जारी कर सर्वेक्षण कराने की बात की है ताकि, कोई क्षेत्र छूटे नहीं और प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।
- बिहार राज्य को और बेहतर बनाने के लिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2015 में सात निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी और अब वर्ष 2021 में पुनः राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय योजना पार्ट -2 को क्रियान्वित किया गया है।
- **सात निश्चय पार्ट 2 की प्राथमिकता:**
  i. युवा शक्ति बिहार की प्रगति।
  ii. सशक्त महिला, सक्षम महिला।
  iii. हर खेत तक पानी।
  iv. स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव।
  v. स्वच्छ शहर - विकसित शहर।
  vi. आसान संपर्क सुविधा।
  vii. सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा।

- सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पिछड़े एवं वंचित वर्गों के विकास एवं कल्याण की भी योजनाओं को आगे जारी रखते हुए, अपने अनुभवों के आधार पर आगामी पाँच वर्षों के लिए "न्याय के साथ विकास" पर आधारित एक साझा कार्यक्रम सात निश्चय तय किया था।
- सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए सात निश्चय लिए गए हैं और उन्हें 'सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020' में सम्मिलित किया गया है।
- सात निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने अपनी प्राथमिकता में सभी राज्य वासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ यथा : पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध कराने बल्कि आधारभूत संरचनाओं यथा:- सड़क, गली-नाली, पुल आदि के विस्तार के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने तथा उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार करने का भी संकल्प लिया है।

सात निश्चय पार्ट -1 की प्राथमिकता		
निश्चय:1	आर्थिक हल, युवाओं को बल	• बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना। • मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। • कुशल युवा कार्यक्रम। • बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016। • सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वाई-फाई के माध्यम से इन्टरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना।
निश्चय: 2	आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार	
निश्चय: 3	हर घर बिजली लगातार	• मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना।
निश्चय: 4	हर घर नल का जल	• मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। • मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना। • मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना। • मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना।

निश्चय: 5	घर तक, पक्की गली - नालियाँ	• ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। • मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। • मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना।
निश्चय: 6	शौचालय निर्माण, घर का सम्मान	• लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। • शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना।
निश्चय: 7	अवसर बढ़ें आगे पढ़ें	• प्रत्येक जिला में जी०एन०एम० स्कूल की स्थापना। • प्रत्येक जिला में पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना। • प्रत्येक जिला में पॉलिटेकनीक संस्थान की स्थापना । • प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। • प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना । • सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। • प्रत्येक अनुमंडल में ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना । • प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। • राज्य में पाँच और नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना।

मौसम बिहार: पंचायत स्तर तक के मौसम की सटीक जानकारी के लिए विकसित मोबाइल ऐप

चर्चा में क्यों?

- विगत 27 मई, 2023 को राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल ऐप 'मौसम बिहार' का भी लोकार्पण किया गया।

मुख्य बिंदु:

- 'मौसम बिहार' मोबाइल एप के माध्यम से सभी किसान एवं आम जन पंचायत स्तर तक तापमान, वर्षापात हवा की गति, आर्द्रता के बारे में रियल टाइम सूचना तथा अगले पांच पांच दिनों का पूर्वानुमान भी प्राप्त कर सकेंगे।
- पंचायत स्तर तक के मौसम की सटीक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है।
- यद्यपि पंचायत स्तर तक का मौसम संबंधी आंकड़ा उपलब्ध करानेवाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है।
- बिहार मौसम सेवा केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान की सूचना प्रसारित कर लोगों को सतर्क किया जा सकेगा जिससे कम-से-कम क्षति होगी और राज्य में किसानों को खेती में भी सुविधा होगी।
- इसके अतिरिक्त राज्य में प्रखंड स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और पंचायत स्तर पर वर्षामापक केन्द्र की स्थापना भी की गई है ताकि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा तथा वायुमंडलीय दाब के संबंधी सही और सटीक आंकड़े मिल सके।
- वर्तमान समय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बिहार में 19 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित हैं, किन्तु इससे मौसम पूर्वानुमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसी कारण बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा 487 सेवा केंद्र स्थापित किये गये हैं जिससे मौसम के संबंध में सटीक जानकारी मिल सकेगी ।
- यह उल्लेखनीय है, कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए योजना एवं विकास भाग के नियंत्रण में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा बिहार मौसम सेवा केंद्र की स्थापना की गयी है ।

खरीफ महाभियान-2023

चर्चा में क्यों ?

- विगत 24 मई, 2023 को राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाभियान-2023 का शुभारंभ किया। और इस महाभियान के तहत 36 प्रचार रथों को राज्य के सभी जिलों में जागरूकता के लिये भेजा गया।

मुख्य बिंदु:

- खरीफ महाभियान-2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित प्रचार रथों के माध्यम से किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी एवं खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
- इस महाभियान का उद्देश्य फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूकता, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन, सात निश्चय पार्ट-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी आदि कार्यक्रम का भी प्रचार-प्रसार किया जाना है।
- वर्तमान समय में बिहार सरकार खरीफ फसलों की खेती के लिए किसानों को वित्तीय खरीफ वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजना के तहत अलग-अलग प्रभेद के उन्नत धान बीज अनुदान पर उपलब्ध करा रही है।
- **खरीफ खरीफ महाभियान-2023 के प्रस्तावित प्रमुख आयाम:**
  - i. सी.एफ.एफ./डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बीच अनुदान का वितरण ।
  - ii. बीज टीकाकरण अभियान ।
  - iii. कृषि उपादान अनुदान का वितरण।
  - iv. जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण ।
  - v. किसानों की आमदनी दुगुनी करने के सुझाव / उपाय।
  - vi. पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपनी।
  - vii. श्री विधि से धान की खेती।
  - viii. मौसम के बदलते परिवेश में धान की सीधी बुवाई।
  - ix. किसान पुरस्कार कार्यक्रम।
  - x. कृषक हित समूह / खाद्य सुरक्षा समूह / कृषक उत्पादक संगठन का गठन।
  - xi. किसान पाठशाला का आयोजन।
  - xii. समेकित कृषि प्रणाली।
  - xiii. किसान चौपाल का आयोजन। आदि।

- उल्लेखनीय है, कि खरीफ महाभियान कार्यक्रम को वर्ष 2019 से पहले खरीफ उत्पादन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। इसी वर्ष खरीफ मौसम में खरीफ फसलों से सम्बंधित

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य/प्रमंडल/जिला/प्रखंड स्तर पर खरीफ महाभियान का आयोजन भी क्या जाने लगा था।

बिहार विधान परिषद में 4 नवनिर्वाचित सदस्य शामिल

चर्चा में क्यों ?

- विगत 10 मई 2023 को बिहार विधान परिषद् के वर्तमान सभापति श्री देवेश चन्द्र ठाकुर ने बिहार विधान परिषद् के 4 नवनिर्वाचित विधान पार्षदों श्री अवधेश नारायण सिंह, श्री जीवन कुमार, डॉ० वीरेन्द्र नारायण यादव एवं श्री संजीव कुमार सिंह को शपथ दिलायी।

मुख्य बिंदु:

- विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वालों में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं।
- अन्य दो प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तथा संजीव कुमार सिंह सारण के ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं।
- जीवन कुमार अतिरिक्त अवधेश नारायण सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव और संजीव कुमार सिंह वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं और 11 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था किन्तु ये तीनों फिर से निर्वाचित हुए हैं।
- यह ध्यान देने योग्य है, कि बिहार विधान परिषद के एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसके लिए जिसमें, केदार पांडेय के असामयिक निधन के कारण सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव करवाया गया था। वहां से प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद को जीत मिली थी।

बिहर विधान मंडल:

- 26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद-171 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार विधान परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या 72 निर्धारित की गई थी।

- पुन: विधान परिषद् अधिनियम, 1957 द्वारा 1958 ई. में परिषद् के सदस्यों की संख्या 72 से बढ़ाकर 96 कर दी गई।
- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा बिहार के 18 जिलों तथा 4 प्रमंडलों को मिलाकर 15 नवम्बर, 2000 ई. को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई और बिहार विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 96 से घटाकर 75 निर्धारित की गई।
- अभी बिहार विधान परिषद् में 27 सदस्य बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं ।
- नवम्बर, 2000 में भारतीय संसद द्वारा 'बिहार पुनर्गठन विधेयक' पारित होने के पश्चात् बिहार से अलग होकर झारखण्ड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके फलस्वरूप बिहार विधान सभा में कुल 243 सदस्य है।

पटना नगर निगम भारत में CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना

चर्चा में क्यों ?

- विगत 23 मई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजीटल करेंसी ई-रुपए का शुभारंभ प्रदेश की राजधानी पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। इसके परिणामस्वरूप अब इस डिजीटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जा सकेगा।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम के सभी अंचल और पेमेंट काउंटरों पर भी किया जा सकेगा।
- पटना नगर निगम मुख्यालय मौर्यालोक परिसर में पूर्ण रूप में इस पेमेंट सिस्टम (भुगतान प्रणाली) को अपनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि सेन्ट्रल बैंक डिजीटल करेंसी (CBDC) का उपयोग करने वाला पटना नगर निगम पूरे भारत का पहला को बढ़ावा देने के लिए और नगर निगम है।
- पटना नगर निगम में डिजीटल करेंसी को बढ़ावा देने तथा डिजिटल ई रुपये के लाभ इत्यादि से अवगत करने के उद्देश्य से पार्षदों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

- पटना नगर निगम के कार्यों को जनसुलभ बनाने और पेमेंट की प्रक्रिया को आसान करने के लिए नो कॉस्ट प्रोसेस के तहत ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अपनाया गया है।
- इस नवीनतम और वैज्ञानिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से पटना नगर निगम की आय बढ़ने के साथ ही आम लोगों को घर बैठे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- एक आंकड़े के अनुसार वर्तमान समय में पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान मात्र 30 प्रतिशत ही हो रहा है जबकि, राज्य सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 90 से 95 प्रतिशत करना है।
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) सरकार द्वारा जारी मुद्रा है और केंद्रीय बैंक की देयता का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात यह निजी डिजिटल मुद्राओं से भिन्न है, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी।
- निजी डिजिटल मुद्राएँ किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्त्ता नहीं है।
- आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक की भूमिका में भी कार्य करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):

- RBI की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया और सर ओसबर्न स्मिथ को RBI का पहला गवर्नर बनाया गया था।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब यह भारत सरकार के स्वामित्व में अपना कार्य करती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से बैंकों को विनियमित करती है। साथ ही साथ इसे RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की भी शक्ति प्राप्त है।
- आजादी से पहले 1942 तक आरबीआई भारत के अलावा म्यांमार जिसे तब बर्मा के नाम से जाना जाता था, के लिए भी करेंसी जारी करता था। हालांकि 1947 के बाद इसे बंद कर दिया गया।
- आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई
- आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास

मनरेगा की रैंकिंग में जमुई शीर्ष स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- बिहार ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित बिहार विकास विभाग सोसायटी द्वारा मनरेगा में मार्च माह के प्रदर्शन को लेकर रैंकिंग जारी की गयी है।
- ग्रामीण विकास विभाग सोसायटी की रैंकिंग में जमुई ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग मनरेगा के 13 मापदंडों के आधार पर तय की गई है।

रैंकिंग निर्धारण के विभिन्न मापदंड:

- रैंकिंग का निर्धारण मनरेगा के 13 हिस्सों के आधार पर हुआ है। इसमें पीडीएस में उपलब्धि, अमृत सरोवर की पूर्णता की प्रतिशत, पौधारोपण, निरीक्षण, काम को पूरा करना, समय पर भूगतान, एटीआर को अपलोड करना, एनआरएम कार्यों में खपत, एससी-एसटी महिलाओं को काम देना आदि शामिल है।

- इन सभी मापदंडों के आधार पर जमुई को रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

बिहार के अन्य जिलों की रैंकिंग:

- मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, किशनगंज, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, सुपौल जैसे जिलों ने मनरेगा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक महिला श्रमिकों को काम दिलाने में उल्लेखनीय कार्य किया है।
- अन्य जिलों ने भी 7.5 से अधिक अंकों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।
- वैशाली ने 6.53, मुंगेर ने 6.00 और दरभंगा ने 5.87 का स्कोर किया।
- इसके अतिरिक्त कुछ जिलों ने एक अंक से कम अंक प्राप्त किए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम:

- मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितम्बर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया।

- यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार (जॉबकार्डधारी) के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।
- एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करते हैं।
- सामग्री अनुपात के लिए मजदूरी-अनुमेय कार्य के लिए 60:40 मजदूरी अनुपात को बनाए रखना होगा।
- कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी।
- कोई ठेकेदार और मशीनरी शामिल नहीं है।
- यह काम की मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराकर काम की गारंटी देता है अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।
- केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की 100% मजदूरी लागत और कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री लागत का 75% वहन करती है।
- ग्राम सभा काम की सिफारिश करती है जबकि इसे मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जाना है।

बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में बदलाव को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वीकृति से संशोधन किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- इसके तहत संबंधित अधिकारी अब राज्य में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में जब्त वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण से परामर्श के बाद कानूनी
- मालिक द्वारा जुर्माने के रूप में पांच लाख रुपये का भुगतान करने के बाद शराब ले जाने वाले वाहनों को छोड़ सकते हैं।

- बिहार में शराब ले जाने के लिए जब्त किए गए वाहन के मालिक को वर्तमान में अदालत की अनुमति के बाद इसकी रिहाई के लिए बीमा मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है।
- कैबिनेट की बैठक में मद्यनिषेध, आबकारी एवं पंजीयन विभाग (आबकारी) द्वारा संशोधन का प्रस्ताव रखा गया।
- कुछ मामलों में, यह पाया गया कि शराब की ढुलाई करने वाले नए वाहनों के मालिक बीमित मूल्य का 50% भुगतान करने में असमर्थ हैं।
- इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि कुछ मामलों में वाहन मालिक निषेध कानूनों के उल्लंघन में शामिल नहीं थे।
- इस मामले में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बाद ही वाहन को छोड़ा जा सकता है। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष अपील करनी होगी।

बिहार राज्य अभिलेखागार में एक करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करेगा

चर्चा में क्यों?

- पटना में बिहार राज्य अभिलेखागार (बीएसए) और भागलपुर, दरभंगा और बेतिया में इसके क्षेत्रीय स्थलों में एक करोड़ फाइलों और फोलियो पर एक रासायनिक सफाई प्रक्रिया, डिएसिडिफिकेशन और टिश्यू लेमिनेशन किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक, राजा टोडरमल, इन फाइलों और फोलियो में मुगल-युग के फ़रमानों और भूमि अभिलेखों में सूचीबद्ध है।
- आवश्यक और संवेदनशील ऐतिहासिक कागजी दस्तावेजों के बेहतर और अधिक समय तक सुरक्षा हेतु बिहार सरकार ने संरक्षण उपाय विकसित किए हैं।

- कुछ दस्तावेज मुगल काल के हैं, उनमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राजा टोडरमल के भूमि अभिलेखों से संबंधित फाइलें भी शामिल हैं।
- ये दस्तावेज दुर्लभ हैं और हमारे सामाजिक-राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य रहे हैं। इनसे हमें यह समझने में मदद मिली है कि मुग़ल शासक भूमि नियमों को कैसे लागू करते थे।
- इसके अलावा, इन दस्तावेजों के माध्यम से, हम ब्रिटिश काल के दौरान गांधी की चंपारण यात्रा और उनके सत्याग्रह के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थों को भी समझने में मददगार साबित हुए हैं।
- यद्यपि इन दस्तावेजों को अभिलेखागार में सर्वोत्तम संभव तरीकों से संरक्षित किया गया है, किन्तु समय के साथ कागजात पीले और भंगुर हो जाते हैं और संरक्षण उपायों की आवश्यकता होती है।
- आधिकारिक बयानों में कहा गया है कि बीएसए अपनी फाइलों और फोलियो को भी डिजिटल कर रहा है। इसके साथ ही लिखित सामग्री को डिजिटल रूप में भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
- पटना में बीएसए में संग्रह से कुल मिलाकर 41 लाख फोलियो को पहले ही डिजिटाइज किया जा चुका है, "पिछले साल 78,000 फोलियो को डिजिटाइज किया गया था। इसके साथ ही साथ और भी बाकी कई फाइलों पर काम चल रहा है।

इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में 32 प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर्स

चर्चा में क्यों?

- विगत 4 मई, 2023 को देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर के सन्दर्भ में द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मार्केट डाटा एनालिटिक्स फर्म कांतार के द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई।
- इस इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान समय में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस समय बिहार में केवल 32 प्रतिशत लोगों तक ही सक्रिय इन्टरनेट की पहुँच है जबकि, रिपोर्ट में शीर्ष पर रहे राज्य गोवा में 70 प्रतिशत लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है।
- राज्य की 62% से अधिक आबादी मोबाइल फोन का उपयोग करती है, जबकि इंटरनेट का उपयोग लगभग 40% लोग ही कर पाते हैं।
- वर्ष 2014-15 में बिहार में 4.2 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ता थे, जो इस वर्ष बढ़कर 6 करोड़ से अधिक हो गए हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2014-15 में 80 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़कर 4 करोड़ से भी अधिक हो गई है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि बिहार में कुछ पंचायतों को छोड़कर सभी 8,743 पंचायतों को भारतनेट के तहत हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण केवल 10-12 पंचायतों को ही नहीं जोड़ा जा सका है।

इस मामले में राष्ट्रीय स्थिति:

- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के कुल 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ केवल ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों से सम्बन्ध रखते हैं।
- वर्ष 2022 में देश की लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी। अनुमान है कि, वर्ष 2025 तक यह संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी।
- यह भी संभावना जतायी जा रही है कि, वर्ष 2025 तक देश के सभी नए इंटरनेट यूजर्स में से 56 प्रतिशत ग्रामीण भारत से ही होंगे।
- हालाँकि, वर्ष 2022 में 71 प्रतिशत इन्टरनेट पहुंच वाले शहरी भारतीय इलाकों में केवल 6 प्रतिशत की ही वृद्धि देखी गई, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत में पिछले एक वर्ष में 14 प्रतिशत की वृद्धि दात्ज की गयी गई थी।
- इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, 2022 दर्शाता है कि, वर्ष 2022 में सभी सक्रिय इंटरनेट यूजर्स में मात्र 54 प्रतिशत पुरुष यूजर्स शामिल थे, जबकि इसी वर्ष 2022 में सभी नए इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं में 57 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं।
- रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि, वर्ष 2025 तक सभी नए यूजर्स में 65 प्रतिशत महिलाएं होंगी, जो इस सन्दर्भ में लैंगिक विभाजन को समाप्त करने में मदद करेंगी।

- यह उल्लेखनीय है कि, भारत में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। 75 करोड़ यूजर्स में सभी 100 प्रतिशत यूजर्स मोबाइल फोन पर भरोसा करते हैं।
- यद्यपि अन्य उपकरणों के प्रयोग में भी वृद्धि देखी गई है, यह वर्ष 2021 में 8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 13 प्रतिशत हो गया है।

बिहार 'लेबर हब' में देश में दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ई-श्रम पोर्टल की ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 'लेबर हब' के मामले में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश में बिहार से चार गुना अधिक मजदूर हैं। लेबर हब में झारखंड नौवें, दिल्ली 20वें और उत्तराखंड 21वें स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8.30 करोड़ और बिहार में 2.86 करोड़ श्रमिक निबंधित हैं। इनमें से कुछ कुशल और कुछ अप्रशिक्षित मजदूर भी शामिल हैं।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त बिहार के दो जिले पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। सबसे कम मजदूर शेखपुरा जिले में है।
- क्षेत्रवार विभाजन में कोसी क्षेत्र में कटिहार व पूर्णिया में अधिक हैं। जबकि पूर्वी बिहार में भागलपुर में सबसे अधिक श्रमिक हैं।
- यह उल्लेखनीय है कि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2021 में मजदूरों की संख्या आंकने के लिए एक पोर्टल बनाया था। ताकि मजदूरों को आधार कार्ड की तरह श्रम कार्ड उपलब्ध कराया जा सके।
- ई-श्रम कार्ड की मान्यता पहचानपत्र के रूप में सम्पूर्ण देश में है। इसके लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है।

BYJU'S EXAM PREP

पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पहली बार राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में पहली बार तीन दिवसीय राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में बिहार को विभिन्न स्पर्धाओं कि श्रेणी में कुल 6 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए ।

मुख्य बिंदु:

- जिले के मोतीझील में आरम्भ हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, आंध्रप्रदेश, असम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित 19 राज्यों की टीम ने भाग लिया था।
- 10वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के 500 मीटर वर्ग का पुरूष इवेंट में उतराखंड को स्वर्ण, झारखंड को रजत व जम्मू एंड कश्मीर को कांस्य पदक मिला।
- 500 मीटर वर्ग के महिला वर्ग में बिहार को स्वर्ण, झारखंड को रजत व केरल को कांस्य पदक प्राप्त हुआ।
- 200 मीटर में बिहार ने महिला व पुरूष वर्ग में एक-एक स्वर्ण पदक जीता। मिक्स इवेंट में भी बिहार ने स्वर्ण पदक जीता।
- 1000 मीटर पुरुषों की रेसिंग में, महाराष्ट्र की टीम स्वर्ण पदक के साथ विजेता बनी। वहीं 1000 मीटर महिला वर्ग में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। इस इवेंट में महाराष्ट्र को रजत व केरल को कांस्य पद प्राप्त हुआ।
- 1000 मीटर मिक्स में भी बिहार की टीम को विजेता बनने का गौरव हासिल हुआ। इसमें केलर को रजत व पश्चिम बंगाल को कांस्य पदक मिला।
- यह उल्लेखनीय है कि, इस इवेंट की सभी विजेता टीम सितंबर माह में चीन के ग्वांगु में आयोजित एशियन गेम्स में भाग लेगी।
- इस नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में पहली बार दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए पैरा ड्रैगन इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें केरल व दिल्ली की टीमों ने हिस्सा लिया।

पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी बनीं मिसेज बिहार 2023

चर्चा में क्यों?

- प्रदेश की राजधानी पटना में आयोजित मिसेज बिहार 2023 प्रतिस्पर्धा में पटना यूनिवर्सिटी की डॉ. रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का ताज जीता। जबकि, स्वर्णा द्वितीय स्थान पर और तीसरे स्थान पर शिखा रहीं।

मुख्य बिंदु:

- मिसेज बिहार 2023 बनने वालीं पटना की डॉक्टर रोहिणी मूल रूप से सहरसा की रहने वाली हैं और वर्तमान में वे पटना यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं।
- मॉडलिंग और अध्यापन कार्य के अतिरिक्त डॉ. रोहिणी महिलाओं को उनके हेल्थ को लेकर मोटिवेट भी करती रहती हैं। विशेष कर महिलाओं के बीच सेनेटरी पैड का वितरण कर उनको पीरियड्स के समय में सावधानी बरतने के लिए जागरूक करना।
- मिसेज बिहार के लिए फाइनलिस्टों को चार राउंड से गुजरना पड़ता है। इसमें रेट्रो, कॉकटेल, इंडियन, प्रश्न और उत्तर राउंड से होते हुए सभी प्रतिभागियों अंतिम में अपने बेहतरीन आईक्यू का परिचय देना होता है।
- मिसेज बिहार के लिए पूरे राज्य से लगभग 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इन सभी प्रतिभागियों में से केवल 14 महिलाएं ही फाइनल राउंड तक पहुच पाई। जिनमें सहरसा की डॉ रोहिणी,पटना से सोनिया गुप्ता, शिखा सिंह, कुसुमलता कुमारी,बैंक कर्मचारी अणिमा रानी,स्वर्ण सूची कुमारी रमामणि स्वाति प्रिया रूपा कुमारी सोमिका, मुजफरपुर से मधु सिंह, पिंकी रंजन, सोनिया गुप्ता व शिवान्या शामिल हैं।
- महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर इस वर्ष का आयोजन स्टॉप वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन के थीम पर आधारित था। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से विनर को बिहार में नारी के उत्थान के लिए एक ब्रांड अम्बेसडर के रूप में विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर गांव समाज में सैनेटरी पैड वितरण और इस विषय में गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है।

नवादा में बन रही देश की सबसे बड़ी (108 फीट) बुद्ध की मूर्ति

चर्चा में क्यों?

- प्रदेश के नवादा जिले के बोधगया और राजगीर मार्ग के मध्य हिसुआ नामक स्थान पर भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इसे वर्ष 2023 के दिसंबर माह तक पर्यटकों के लिए खोल दिए जाने की योजना है।

मुख्य बिंदु:

- इस प्रतिमा की उंचाई 108 फीट है जो बिहार सहित भारत में भगवान् बुद्ध की सबसे ऊँची प्रतिमा है। इसका निर्माण लगभग 2 एकड के भू-भाग में निर्माण हो रहा है और यह भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा है।
- अपने ज्ञान का साक्षी पृथ्वी को मानते हुए भूमि स्पर्श करते हुए भगवान बुद्ध की बैठी हुई इस मूर्ति का निर्माण चुनार के ¨पक व रेड सैंडस्टोन से किया जा रहा है।
- थाईलैंड की संस्था वट नवमी मंडरा धम्मकर के जरिए इस मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है। इस के पहले बिहार की सबसे उंची प्रतिमा बोधगया की रही है। यहाँ भगवान बुद्ध की मुर्ति ध्यान मुद्रा में 82 फुट ऊँची खुली हवा में एक कमल पर विराजमान है। 1982 में इसकी नींव रखी गई थी, जिसे 14 वें दलाई लामा ने 18 नवंबर 1989 को लोकार्पण किया था।
- बिहार के बोधगया के बाद सासाराम में गौतम बुद्ध की सबसे उंची प्रतिमा रही है, जिसकी उंचाई 80 फीट रही है। यह बुद्ध मूर्ति सिद्धासन की मुद्रा में 80 फीट उंची खुली हवा में एक कमल पर विराजमान है।
- सासाराम के बाद बिहार में राजगीर के घोड़ा कटोरा में निर्मित बुद्ध की प्रतिमा तीसरी उंची प्रतिमा रही है।

5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में दो स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक

चर्चा में क्यों ?

- विगत 4 से 7 मई 2023 तक बैंगलोर, कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा एवं ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में ही बिहार को कांस्य पदक मिला।

मुख्य बिंदु:

- डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीत कर बिहार को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त डिस्कस थ्रो में ही अर्चना कुमारी ने कांस्य पदक जबकि, ऊंची कूद की श्रेणी में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता ।
- आगामी आठ जुलाई से 15 जुलाई तक पेरिस में प्रस्तावित वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालीफाई करने के लिए बेंगलुरु में इस इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था।
- पहली बार देश के लिए खेलने का अवसर प्राप्त करने वाले शैलेश ने प्रतिस्पर्धा में सफलतापूर्वक एक पांव से 1.85 मीटर की ऊंची कूद को पूरा किया है।
- इसके पहले शैलेश ने 16 से 20 मार्च तक पुणे में आयोजित 21वीं पैरा एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में और 28 से 31 मार्च 2022 तक भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था।
- शैलेश पिछले चार वर्षों से गुजरात के साईं गांधीनगर स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।
- तीनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप के तैयारी के लिए KIIT यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़िशा में दिनांक 10 मई से 04 जून 2023 तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित किया जाएगा।

बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज द्वारा बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी - 2022 की शुरुआत की गयी

चर्चा में क्यों ?

- देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- इसी क्रम में, बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी - 2022 का शुभारंभ किया गया है।

मुख्य बिंदु : -

- इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी उद्यमियों को 10 वर्षों के लिए, 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी ब्याज दर पर प्रदान किया जायेगा। लाभार्थी उद्यमियों को ऋण स्वरुप यह धनराशि सीड फंड के तौर पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभार्थी उद्यमियों को आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग में भी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस पॉलिसी के अंतर्गत यदि कोई स्टार्टअप राज्य के किसी विकासात्मक कार्यक्रम में भाग लेता है, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा उत्पाद विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्टार्टअप हेतु जो युवा उद्यमी एंजेल निवेश को सुरक्षित करने का प्रबंधन करते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा सफलता शुल्क के तौर पर लाभार्थीयों द्वारा किये गए कुल निवेश के अतिरिक्त 2% की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा।
- बिहार को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार राज्य सरकार ने पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की थी उसके बाद बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को प्ररम्भ किया गया है।
- इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए पारंपरिक उद्योग जैसे:- हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ग्रामोद्योग आदि को और अधिक शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- महिला उद्यमियों के नेतृत्व में संचालित राज्य के प्रत्येक स्टार्टअप को 5% अतिरिक्त फंड अर्थात 10 लाख 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता सीड फंड के रुप में एवं 3 लाख 15 हजार रुपये विकासात्मक कार्यक्रम में भाग लेने पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) स्टार्टअप संस्थापकों को अतिरिक्त 15% अर्थात 11 लाख 5 हजार रुपये की धनराशि सीड फंड के रुप में एवं राज्य के विकासात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने की दशा में 3 लाख 45 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराये जायेंगे।

लोक गायिका मैथिली ठाकुर बनीं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की ब्रांड एंबेसडर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार खादी एवं हस्तकला उद्योग के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

- इस सन्दर्भ में बिहार खादी बोर्ड के वर्तमान सीईओ दिलीप कुमार ने एक कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर को ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु :-

- 25 जुलाई, 2000 को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में जन्म लेने वाली मैथिली ठाकुर अब वैश्विक स्तर पर बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रचार-प्रसार करेंगी।
- इसके अतिरिक्त मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी - 2021 के प्रतिष्ठित 'उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार' के लिए भी चुना गया है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि, विगत 27 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया था।
- मैथिली ठाकुर से पहले भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एंबेसडर थे।
- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बिहार सहित अन्य राज्यों के प्रमुख कलाकारों को बिहार खादी से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है, ताकि इनके माध्यम से खाड़ी उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके।
- बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौण्डरीक हैं।
- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बिहार राज्य की स्थापना के साथ वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया था। यह बोर्ड ग्रामीण लोगों को उनके दरवाजे पर रोजगार उपलब्ध कराकर आंशिक रूप से मदद करने का प्रयास करता है।

बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 'पालतू' हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी

चर्चा में क्यों ?

- वर्तमान प्रदेश सरकार जंगली हाथियों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण करने के लिए राज्य के सभी 'पालतू' हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग परियोजना इस दिसंबर (2022) से प्रारम्भ कर चुकी है।

मुख्य बिंदु :-

- पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग परियोजना को राज्य सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार दोनों द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन प्राप्त है।
- इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के सभी 'पालतू' हाथियों का आनुवंशिक (जेनेटिक) तौर पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है, ताकि जंगली हाथियों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण किया जा सके।
- डीएनए का नमूना एकत्र करने के लिए राज्य वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आई आई) के सहयोग से एक सुरक्षायुक्त (छेड़छाड़ रहित) सैंपलिंग किट और एक विशेष मोबाइल अनुप्रयोग (ऐप्लिकेशन) तैयार किया गया है।
- वर्ष 2002 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार ऐसे सभी 'पालतू' हाथियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जो राज्य वन विभाग में पंजीकृत नहीं हैं।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम पालतू पशुओं के लिए देखभाल और रख-रखाव के लिए निर्धारित उपयुक्त उपायों को अनिवार्य बनाता है।
- वर्तमान समय में सर्वाधिक संख्या में 'पालतू' हाथी निजी स्वामित्व में हैं और उनमें से अधिकांश का उपयोग वाणिज्यिक या औपचारिक उद्देश्यों एवं अनुष्ठानों के लिए किया जाता है।

डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इन्टरनेट पहुँच वाला राज्य बना बिहार

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा 'इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 :- डिजिटल डिवाइड' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पहुंच को विभिन्न राज्यों में व्यापक रूप से पुरुषों, शहरी, उच्च जाति तथा उच्च वर्गीय परिवारों एवं लोगों तक ही सीमित बताया गया है।

मुख्य बिंदु :-

- ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी भारत असमानता डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट, 2022 में सबसे कम इन्टरनेट पहुँच वाले राज्य का दर्जा बिहार को दिया गया है जबकि, गुजरात अपने सभी जिला मुख्यालयों में 5G इन्टरनेट सेवा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

- रिपोर्ट में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान समय में देश में प्रति 100 लोगों पर केवल 57.29 इंटरनेट यूजर्स हैं और शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में यह संख्या काफी कम है।
- भारत में जीएसएमए द्वारा मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में किए गए सर्वे में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना 33 प्रतिशत से भी कम है।
- भारत के अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है, इसके बाद गोवा और केरल का स्थान है, जबकि बिहार में सबसे कम, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड का स्थान है।
- इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 (भारतीय असमानता रिपोर्ट - 2022) में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सी एम आई ई) और नेशनल सैंपल सर्वे (एन एस एस) द्वारा संकलित जनवरी 2018 से दिसंबर 2021 तक के सर्वेक्षण के प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

ऑक्सफैम इंटरनेशनल :-

- ऑक्सफैम (Oxfam), गरीबी और अन्याय को खत्म करने के लिए असमानता से लड़ रहे व्यक्तियों का एक वैश्विक आंदोलन है।
- इसका गठन वर्ष 1995 में गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा ज्ञान और संसाधनों को साझा करने और गरीबी, अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई में उनके प्रयासों को समन्वित करने के लिए किया गया था।
- हाल ही में इसके द्वारा 'भारत में भेदभाव रिपोर्ट' 2022 अथवा इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, 2022 भी जारी किया गया है।